कार्यालय नगर विकास न्यास,अलवर

क्रमांक/एफ–2/नीलामी/ दिनांकः–

नीलामी सूचना

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा पुरानी तहसील को अस्थायी पार्किंग स्थल हेतु दिनांक 20.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर के नीलामी हॉल में खुली बोली लगवाई जाकर 6 माह अवधि के लिए अस्थायी पार्किंग हेतु अनुबन्ध किया जावेगा।

क्र. सं.	पार्किंग स्टैण्ड का स्थान	नीलामी हेतु अमानत राशि	बोली प्रारम्भ करने की दर	निर्धारित शुल्क (6 घण्टे हेतु)	वि0वि0	नीलामी समय
01.	पुरानी तहसील अलवर	50000/–	400000/–	साईकिल – 5/– स्कूटर, मोटरसाईकिल – 10/– लोडिंग/थ्री व्हीलर –20/– चौपहिया वाहन – 20/–	6 माह अस्थायी	प्रातः 11.00 बजे

उपरोक्त पार्किंग स्थल की बोली लगाने से पूर्व पार्किंग स्थल हेतु उस स्थल की शर्ते ध्यानपूर्वक पढकर उपरोक्तानुसार अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव नगर विकास न्यसा, अलवर के नाम न्यास में जमा कराना होगा। उच्चतम बोली में नियमानुसार जी0एस0टी0 अलग से देय होगा। सफल बोलीदाता को उच्चतम नीलामी बोली की 1/4 राशि तथा प्रशासनिक व्यय नियमानुसार जी0एस0टी0 सहित नीलामी के दिन ही जमा करानी होगी, अन्यथा जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। अध्यक्ष महोदय द्वारा बोली स्वीकृति के उपरान्त शेष 3/4 राशि 15 दिवस के अन्दर–अन्दर जमा करानी होगी, अन्यथा अमानत राशि व 1/4 राशि जब्त कर पार्किंग पुनः नीलामी की कार्यवाही की जावेगी।

सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक/एफ–2/नीलामी/ दिनांकः–
प्रतिलिपि :–

01. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्यास, अलवर को भेजकर निवेदन है कि दिनांक 20.02.2025 को उक्त नीलामी प्रोगाम में जिला कलक्टर प्रतिनिधि भिजवाने का श्रम करे।

02. सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता न्यास, अलवर।

03. संबंधित सहायक अभियन्ता, न्यास, अलवर।

04. सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता, न्यास, अलवर का भेजकर लेख है कि

05. कनिष्ठ अभियन्ता न्यास, भवन को भेजकर लेख है कि नीलामी हॉल में समस्त व्यवस्था तथा साउण्ड की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करे।

06. सहायक अभियन्ता (विधुत) न्यास, अलवर को भेजकर लेख है कि नीलामी के दिन विधुत सम्बधी व्यवस्था तथा साउण्ड की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Snehal Nana Dhaygude
Designation : Secretary
Date: 2025.02.07 15:28:48 IST
Reason: Approved

सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

पार्किंग स्टैण्ड शर्ते निम्न है

01. पार्किंग शुल्क निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है जो कि 6 घण्टे के लिए निर्धारित है।
(अ) साईकिल – 5/–
(ब) स्कूटर, मोटरसाईकिल – 10/–
(स) लोडिग/थ्री व्हीलर –20/–
(द) चौपहिया वाहन – 20/–
उक्त सभी प्रकार के वाहनों के लिये भी 6 घण्टे से अधिक अवधि होने पर उक्तानुसार प्रति 6 घण्टे के हिसाब से शुल्क वसूला जायेगा।

02. ठेका की अवधि कार्यादेश जारी होने की अवधि से 6 माह के लिए अस्थायी पार्किंग हेतु मान्य होगी। जिसे आवश्यक होने पर आपसी सहमति से आगे की अवधि के लिए बढाया भी जा सकता है। सफल बोली ही राशि 6 माह के लिये है यदि उक्त अवधि बाद पारस्परिक सहमति से बढाई जाती है तो बढी हुई राशि आनुपातिक रूप से गणना अनुसार 7 दिवस में जमा करानी होगी।

03. स्टैण्ड पर रखे जाने वाले किसी भी लोडिग/थ्री व्हीलर, चौपहिया वाहन, स्कूटर, मोटरसाईकिल एवं साईकिल की चोरी, तोडफोड एवं किसी भी प्रकार की क्षति की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

04. संवेदक को संबंधित सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार 3'X4' का आकार के दो लोहे के बोर्ड निर्धारित दरें एवं नियमों का उल्लेख करते हुए लगाने होगे एवं किन्ही दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाकर एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। न्यास द्वारा निर्धारित दरो को संवेदक द्वारा प्रकाशित कराना होगा।

05. ठेके की स्वीकृति की सम्पूर्ण राशि जमा कराने के उपरान्त ही पार्किंग स्टैण्ड लगाने की अनुमति दी जावेगी।

06. चौपहिया वाहन की पार्किंग निर्धारित स्थल पर ही करनी होगी। निर्धारित स्थल के बाहर पार्किंग की अनुमति नही होगी। निर्धारित स्थल के बाहर पार्किंग कराए जाने पर संवेदक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

07. पार्किंग स्टैण्ड की सुरक्षा/दरों/किसी भी शर्तो का उल्लघन पर न्यास द्वारा तत्काल अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा एवं जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

08. ठेके की अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि ठेकेदार स्वयं ठेका निरस्त करता है अथवा ठेके की शरायतों का उल्लंघन करता है तो ठेके की जमाशुदा राशि एवं अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी एवं ठेका पुनः नीलामी की अवस्था में ठेके से होने वाली न्यास की हानि को ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।

09. ठेकेदार अपने ठेके को दूसरे के नाम हस्तान्तरित नही कर सकेगा।

10. दोनो पक्षों में विवाद दीवानी न्यायालय में होने की स्थिति में क्षेत्राधिकार अलवर शहर होगा।

11. ठेके के मध्य किसी तृतीय पक्षकार को देयता, किसी भी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

12. ठेकेदार द्वारा ठेके के सम्बन्ध में ठेका स्थल पर यदि कोई अपराधीक कृत्य किया जाता है तो समस्त जमा राशि जब्त कर न्यास, अलवर समुचित निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगी जिसके लिए संवेदक जिम्मेदार होगा।

सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Snehal Nana Dhaygude
Designation : Secretary
Date: 2025.02.07 15:28:48 IST
Reason: Approved

कार्यालय नगर विकास न्यास,अलवर

क्रमांक/एफ–2/नीलामी/ दिनांकः–

नीलामी सूचना

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा पुरानी तहसील परिसर की अस्थायी रूप से 6 माह पार्किग स्थल हेतु खुली नीलामी दिनांक 20.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर के नीलामी हॉल में की जावेगी। इच्छुक बोलीदाता 50000/– रूपये का डिमांड ड्राफ्ट सचिव नगर विकास न्यास, अलवर के नाम एवं आधार कार्ड, पेन कार्ड व जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रति दिनांक 20.02.2025 को 11.00 बजे तक कैशियर को प्रस्तुत कर बोली में भाग ले सकते है। नीलामी की विस्तृत शर्ते कार्यालय समय में न्यास में, sppp.raj.nic.in पोर्टल एवं न्यास, अलवर की web site uitalwar.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक/एफ–2/नीलामी/ **दिनांकः–**
प्रतिलिपि :–

01. **वरिष्ठ लेखाधिकारी न्यास, अलवर को भेजकर लेख है कि नीलामी सूचना का प्रकाशन एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के अलवर संस्करण में एवं एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करे।**
02. **सहायक प्रोगामर, न्यास, अलवर को भेजकर लेख है कि उक्त नीलामी सूचना का** sppp.raj.nic.in **पोर्टल एवं न्यास, अलवर की** web site uitalwar.rajasthan.gov.in **पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।**

सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Snehal Nana Dhaygude
Designation : Secretary
Date: 2025.02.07 15:28:48 IST
Reason: Approved